# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर

पीठासीन अधिकारी — प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :— 08 / 2025

जी.सी.एम.एस. नंबर :— 2025 / 31

| प्रार्थीगण | अप्रार्थीगण |
| --- | --- |
| भंवराराम पुत्र दानारामजी वगैरह | चम्पालाल पुत्र दानाराम वगैरह |

**प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

**तारीख रजु :— 18.02.2025**

उपस्थिति :—

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री इब्राहिम शाह जुनेजा उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 6, 8, 12, 14, 16 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री लाधुसिंह किलवा उपस्थित।
3. अप्रार्थीगण संख्या 9 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेश पुरोहित उपस्थित।
4. अप्रार्थीगण संख्या 21 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री भगवती प्रसाद बालोत उपस्थित।
5. अप्रार्थीगण संख्या 1, 2, 7, 10, 11, 13, 15, 17 लगायत 20 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:— निर्णय :—

दिनांक :— 04.02.2026

संक्षिप्त में प्रार्थना—पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 18 के संयुक्त खातेदारीसुदा व कब्जा काश्तसुदा की आराजी वांके सरहद मौजा सांचौर, पटवार हल्का—सांचौर में नवीन खाता नंबर 533 के खेत खसरा नंबर 3965 / 563 रकबा 0.9920 हैक्टेयर, खसरा नंबर 3966 / 563 रकबा 0.6040 हैक्टेयर, खसरा नंबर 3968 / 554 रकबा 0.2408 हैक्टेयर, खसरा नंबर 3970 / 554 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 3972 / 562 रकबा 3.94 हैक्टेयर, खसरा नंबर 3974 / 565 रकबा 2.5712 हैक्टेयर, खसरा नंबर 3976 / 570 रकबा 0.3540 हैक्टेयर, खसरा नंबर 560 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 561 रकबा 4.13 हैक्टेयर, खसरा नंबर 570 / 3081 रकबा 0.30 हैक्टेयर जुमले रकबा 12. 3220 हैक्टेयर की आई हुई है जिसमें मुझ प्रार्थी भंवराराम का 1 / 24 हिस्सा एवं मुझ प्रार्थी वसाराम का 1 / 24 हिस्सा आया हुआ है तथा इसी प्रकार वांके सरहद मौजा सांचौर में स्थित आराजी नवीन खाता संख्या 290 के खसरा नंबर 124 रकबा 0.42 हैक्टेयर का आया हुआ है जिसमें मुझ प्रार्थी भंवराराम का 1 / 24 हिस्सा एवं मुझ प्रार्थी वसाराम का 1 / 24 हिस्सा आया हुआ है। नकल वर्तमान जमाबंदी व नक्शा ट्रैश संलग्न प्रार्थना—पत्र अवलोकनार्थ माननीय अदालत पेश है। अतः प्रार्थना—पेश कर निवेदन है कि ताफैसला मूलवाद बहक प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थीगण इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा सादिर फरमावें जावें कि वे वांके सरहद मौजा सांचौर, पटवार हल्का—सांचौर में नवीन खाता नंबर 533 के खेत खसरा नंबर 3965 / 563

सहायक कलक्टर सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

रकबा 0.9920 हैक्टेयर, खसरा नंबर 3966/563 रकबा 0.6040 हैक्टेयर, खसरा नंबर 3968/554 रकबा 0.2408 हैक्टेयर, खसरा नंबर 3970/554 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 3972/562 रकबा 3.94 हैक्टेयर, खसरा नंबर 3974/565 रकबा 2.5712 हैक्टेयर, खसरा नंबर 3976/570 रकबा 0.3540 हैक्टेयर, खसरा नंबर 560 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 561 रकबा 4.13 हैक्टेयर, खसरा नंबर 570/3081 रकबा 0.30 हैक्टेयर जुमले रकबा 12.3220 हैक्टेयर एवं नवीन खाता नंबर 290 के खसरा नंबर 124 रकबा 0.42 हैक्टेयर बारानी दोयम में स्थित हम प्रार्थीगण के हक हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि हमारे शांतिपूर्ण उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में न तो अप्रार्थीगण स्वयं किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी या नुक्शअमन ही करें तथा न ही किसी अन्य से करावें तथा न ही वादग्रस्त आराजी आगे किसी को बैचान, रहन, भोगलावा, गिरवी, तर्क, बख्शीश वगैरह ही करें तथा मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 9 की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र आधारहीन, विधिविरूद्व व बेबुनियाद होने से आज ही खारिज फरमावें।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र खारिज/अस्वीकार किया जाता है।

**:– आदेश :–**

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पूर्णतयाः साबित नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, **आर.ए.एस**)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, सांचौर

निर्णय आज दिनांक **04.02.2026** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, सांचौर